राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र .....

क्रमांक दिनांक

उद्योग संचालन हेतू अस्थायी आधार पर अनुमति पत्र

औद्योगिक संचालन हेतु अनुमति पत्र
(जिला स्तरीय)

कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण राज्य सरकार द्वारा राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 की धारा 2 की शक्तियों को प्रयुक्त करते हुये समस्त राज्य में दिनांक 22.03.2020 से 31.03.2020 तक पूर्णत बंद (Lock Down) घोषित किया गया था। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की शक्तियों का प्रयोग करते हुय अपने आदेश दिनांक 24.03.2020 के द्वारा सम्पूर्ण देश में लाकडाउन की अवधि दिनांक 14.04.2020 तक घोषित की है परन्तु आवश्यक प्रकृति की कतिपय औद्योगिक इकाईयों को उक्त लाकडाउन की अवधि में अपनी गतिविधि जारी रखने की अनुमति प्रदान की गयी। उपरोक्त आदेशों के अनुक्रम में गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.33(2)गृह–9/2019 दिनांक 26.03.2020 जारी किया गया था। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पूर्व आदेश की निरन्तरता में अनुगामी आदेश दिनांक 25.03.2020 व 27.03.2020 के द्वारा पूर्व में प्रदान की गयी छूट की श्रेणी में कुछ और श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों/सेवाओं को जोडा (Addendum) गया है।

गृह विभाग के आदेशों की निरन्तरता में उद्योग विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 27.03.2020 एवं 30.03.2020 के अनुसरण में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि ... .(इकाई का नाम) जो कि (उत्पादन स्थल का पता) .... के द्वारा विनिर्माण/उत्पादन किये जाने वाला .....(उत्पाद का नाम) गृह मंत्रालय के उपरोक्त वर्णित आदेशों के तहत लाकडाउन से छूट प्राप्त उद्योग/गतिविधि की श्रेणी में आता है। गृह विभाग के आदेशों की अनुसरण में उक्त वर्णित औद्योगिक इकाई को अपनी उत्पादन प्रक्रिया को लाकडाउन की अवधि में जारी रखने की अनुमति एतद् द्वारा निम्नशर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

1. आवेदक द्वारा उद्योग संचालन के समय भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/एडवाइजरी की पूर्ण पालना की जायेगी।

2. आवेदक द्वारा उद्योग/गतिविधि संचालन हेतू न्यूनतम आवश्यक श्रमिकों को औद्योगिक परिसर या इस हेतू विशेष रूप से उपयोग में लिये जाने वाले अनुमत परिसर में अथवा उनके निवास में रखना आवश्यक होगा।
3. ऐसे श्रमिकों/कार्मिको के लिये उद्योग संचालन के समय मेडिकेटेड सेनेटाईजर, साबुन, मास्क एवं अन्य वांछनीय सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संबंधित औद्योगिक परिसर/स्थल को भी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाईन के अुनसार पूर्णतया सेनेटाईज किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रतिदिन फ्यूमिगेशन कराया जायेगा।
5. यदि आवेदक द्वारा ऐसे श्रमिको को अपने औद्योगिक परिसर या इस हेतू विशेष रूप से उपयोग में लिये जाने वाले अनुमत परिसर में रोका जाता है तो वह उनके रूकने, सोने एवं एवं दैनिक जीवन यापन का सभी इंतजाम स्वयं के खर्चे कर किया जायेगा।
6. आवेदक द्वारा कोविड–19 (कोरोना) वायरस संक्रमण को रोकने के लिये जारी भारत सरकार/राज्य सरकार की एडवाईजरी अनुसार अन्य सभी उपायों को अपनाया जायेगा।
7. आवेदक द्वारा अपने औद्योगिक परिसर में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान एवं कार्य समाप्ति के उपरान्त भी एवं उनके लिये तैयार किये गये अनुमत परिसर में निर्धारित दूरी बनाकर सोशियल डिस्टेंस कन्सेप्ट को प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा एवं सम्पर्क रहित (Contactless) आदान प्रदान के प्रोटोकाल की भी पालना की जायेगी।
8. किसी भी श्रमिक/कार्मिक को कोविड–19 (कोरोना) वायरस संक्रमण के लक्षण दिखायी देने पर अविलम्ब जिला प्रशासन/चिकित्सा विभाग को सूचित किया जायेगा।
9. उपरोक्त इकाईयों में उत्पादन प्रक्रिया में लगाये जाने वाले श्रमिकों के लिये यदि प्रचलित श्रम कानूनों के तहत संबंधित प्राधिकारी से प्रत्येक पारी वार अनुमति आवश्यक हो तो, वांछित अनुमति संबंधित विभाग/प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त करनी होगी।
10. श्रमिकों के आवागमन एवं माल के आवागमन के लिये भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार आवश्यक होने पर अनुमति संबंधित प्राधिकारी से नियमानुसार प्राप्त करनी होगी।
11. यदि आवेदक द्वारा उसके अधिकृत व्यक्ति द्वारा उद्योग संचालन के समय भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/एडवाइजरी का उल्लंघन किया जाता है तो इसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेवार होगा एवं उक्त अनुमति प्रत्याहरित कर ली जायेगी।
12. उक्त अनुमति लाकडाउन की अवधि प्रभावी रहने अथवा राज्य सरकार के आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक ही प्रभावी होगी। उक्त अनुमति को राज्य सरकार के आदेशों के अध्यधीन कभी भी प्रत्याहरित किया जा सकेगा।

प्राधिकृत अधिकारी
जिला उद्योग केन्द्र
मोबाईल नं0.....

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, रीको लि0 जयपुर।
3. जिला कलक्टर, ...।
4. जिला पुलिस अधीक्षक, ...।
5. संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट/इंसीडेंट कमांडर
6. संबंधित पुलिस थाना .....।
7. अध्यक्ष ..... औद्योगिक क्षेत्र एशोसियेशन,
8. रक्षित पत्रावली।

प्राधिकृत अधिकारी
जिला उद्योग केन्द्र

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, उद्योग एवं विशिष्ट शासन सचिव, सीएसआर, राजस्थान
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005

क्रमांक दिनांक

औद्योगिक संचालन हेतु अनुमति पत्र

(राज्य स्तरीय)

कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण राज्य सरकार द्वारा राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 की धारा 2 की शक्तियों को प्रयुक्त करते हुये समस्त राज्य में दिनांक 22.03.2020 से 31.03.2020 तक पूर्णत बंद (Lock Down) घोषित किया गया था। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की शक्तियों का प्रयोग करते हुय अपने आदेश दिनांक 24.03.2020 के द्वारा सम्पूर्ण देश में लाकडाउन की अवधि दिनांक 14.04.2020 तक घोषित की है परन्तु आवश्यक प्रकृति की कतिपय औद्योगिक इकाईयों को उक्त लाकडाउन की अवधि में अपनी गतिविधि जारी रखने की अनुमति प्रदान की गयी। उपरोक्त आदेशों के अनुक्रम में गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.33(2)गृह–9/2019 दिनांक 26.03.2020 जारी किया गया था। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पूर्व आदेश की निरन्तरता में अनुगामी आदेश दिनांक 25.03.2020 व 27.03.2020 के द्वारा पूर्व में प्रदान की गयी छूट की श्रेणी में कुछ और श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों/सेवाओं को जोडा (Addendum) गया है।

गृह विभाग के आदेशों की निरन्तरता में उद्योग विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.03.2020 एवं 30.03.2020 के अनुसरण में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि .....(इकाई का नाम) जो कि (उत्पादन स्थल का पता) .... के द्वारा विनिर्माण/उत्पादन किये जाने वाला .....(उत्पाद का नाम) गृह मंत्रालय के उपरोक्त वर्णित आदेशों के तहत लाकडाउन से छूट प्राप्त उद्योग/गतिविधि की श्रेणी में आता है। उक्त आवेदक के छूट प्राप्त उद्योगों का संचालन एक से अधिक जिले में हो रहा है, जिसकी अनुमति प्रदान करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया गया है। अतः गृह विभाग एवं उद्योग विभाग के उपरोक्त वर्णित आदेशों की अनुसरण में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा एकत्रित की गयी जानकारी के आधार पर यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि .....(इकाई का नाम) द्वारा निम्न जिलों में उत्पादन किया जा

रहा है जो गृह विभाग के उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 26.03.2020 के क्रम 5 में वर्णित अपवादों की श्रेणी में आता है। संबंधित औद्योगिक इकाई का नाम व पता निम्नानुसार हैः–

1. इकाई का नामः–

2. उत्पादन स्थल वाले जिलों का नाम व स्थल का पता

(i) (ii) (iii)

3. विनिर्माण/उत्पादन किये जाने वाला .....(उत्पाद का नाम)

तदनुसार उक्त वर्णित औद्योगिक इकाई को अपनी उत्पादन प्रक्रिया को लाकडाउन की अवधि में जारी रखने की अनुमति एतद् द्वारा निम्नशर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

1. आवेदक द्वारा उद्योग संचालन के समय भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/एडवाइजरी की पूर्ण पालना की जायेगी।
2. आवेदक द्वारा उद्योग/गतिविधि संचालन हेतू न्यूनतम आवश्यक श्रमिकों को औद्योगिक परिसर या इस हेतू विशेष रूप से उपयोग में लिये जाने वाले अनुमत परिसर में अथवा उनके निवास में रखना आवश्यक होगा।
3. ऐसे श्रमिकों/कार्मिको के लिये उद्योग संचालन के समय मेडिकेटेड सेनेटाईजर, साबुन, मास्क एवं अन्य वांछनीय सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संबंधित औद्योगिक परिसर/स्थल को भी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाईन के अुनसार पूर्णतया सेनेटाईज किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रतिदिन फ्यूमिगेशन कराया जायेगा।
5. यदि आवेदक द्वारा ऐसे श्रमिको को अपने औद्योगिक परिसर या इस हेतू विशेष रूप से उपयोग में लिये जाने वाले अनुमत परिसर में रोका जाता है तो वह उनके रूकने, सोने एवं एवं दैनिक जीवन यापन का सभी इंतजाम स्वयं के खर्चे कर किया जायेगा।
6. आवेदक द्वारा कोविड–19 (कोरोना) वायरस संक्रमण को रोकने के लिये जारी भारत सरकार/राज्य सरकार की एडवाईजरी अनुसार अन्य सभी उपायों को अपनाया जायेगा।
7. आवेदक द्वारा अपने औद्योगिक परिसर में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान एवं कार्य समाप्ति के उपरान्त भी एवं उनके लिये तैयार किये गये अनुमत परिसर में निर्धारित दूरी बनाकर सोशियल डिस्टेंस कन्सेप्ट को प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा एवं सम्पर्क रहित (Contactless) आदान प्रदान के प्रोटोकाल की भी पालना की जायेगी।
8. किसी भी श्रमिक/कार्मिक को कोविड–19 (कोरोना) वायरस संक्रमण के लक्षण दिखायी देने पर अविलम्ब जिला प्रशासन/चिकित्सा विभाग को सूचित किया जायेगा।
9. उपरोक्त इकाईयों में उत्पादन प्रक्रिया में लगाये जाने वाले श्रमिकों के लिये यदि प्रचलित श्रम कानूनों के तहत संबंधित प्राधिकारी से प्रत्येक पारी वार अनुमति आवश्यक हो तो, वांछित अनुमति संबंधित विभाग/प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त करनी होगी।

10. श्रमिकों के आवागमन एवं माल के आवागमन के लिये भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार आवश्यक होने पर अनुमति संबंधित प्राधिकारी से नियमानुसार प्राप्त करनी होगी।
11. यदि आवेदक द्वारा उसके अधिकृत व्यक्ति द्वारा उद्योग संचालन के समय भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/एडवाइजरी का उल्लंघन किया जाता है तो इसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेवार होगा एवं उक्त अनुमति प्रत्याहरित कर ली जायेगी।
12. उक्त अनुमति लाकडाउन की अवधि प्रभावी रहने अथवा राज्य सरकार के आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक ही प्रभावी होगी। उक्त अनुमति को राज्य सरकार के आदेशों के अध्यधीन कभी भी प्रत्याहरित किया जा सकेगा।

(अरविन्द्र लढढा)
अतिरिक्त निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं एमएसएमई विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. प्रबन्ध निदेशक, रीको लिमिटेड, उद्योग भवन, जयपुर।
5. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, ...।
7. जिला पुलिस अधीक्षक, ...।
8. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ...।
9. पुलिस थाना .....।

संयुक्त निदेशक